eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर नीतिगत पहल

विमल कुमार[1]
[1]शोध छात्र, भूगोल विभाग, आर0बी0एस0 कालेज आगरा, उत्तर प्रदेश

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Oct 2024

Abstract

जलवायु परिवर्तन भारत ही नहीं अपितु एक प्रमुख वैश्विक समस्या बन गई है जिससे विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं बचा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से इस पृथ्वी को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। दुनिया भर की सरकारें इस बात की तरफ ध्यान दे रही है कि कैसे पर्यावरणीय जोखिम को कम किया जाए और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु नीतियों का ढांचा कैसे तैयार किया जाये तथा कैसे उन नीतियों को लागू किया जाये जिससे कि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। तथा 1992 के पृथ्वी (रियो) सम्मेलन के साथ जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक प्रक्रिया में तेजी आयी जिसमें हरित ग्रह गैसों की वायुमंडल में सान्द्रता को कैसे स्थिर किया जाये तथा पेरिस समझौते में शामिल इस सदी के वैष्विक तापमान वृद्धि को 2 सेल्सियस से काफी नीचे रखना है। तथा तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कैसे सीमित किया जाये। इसके लिए भारत ने भी कई नीतिगत पहल की है। तथा इन नीतियों से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो। आने वाली पीढियों को भी प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल सके। इस शोध पत्र में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास के लिए की गई नीतिगत पहलों का वर्णन किया गया है।

मुख्य शब्द– पर्यावरणीय राजनीति, पर्यावरणीय जोखिम, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन।

Introduction

सतत विकास को सरकारी नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों में व मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कई पहल की गई है भारत सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं और समानता के सिद्धान्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्यवाही कर रहा हैं। जैसा कि यू0एन0एफ0सी0सी0सी0 (UNFCCC) और इसके पेरिस समझौते में अनिवार्य है, विकास शील देशों की ओर वित्त प्रवाह द्वारा समार्थित होना होगा। भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) देश की विकास संबंधी अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर है। अपने NDC में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीवृता को 2005 के स्तर से 33 से 35 फीसदी कम करने की मांग की गई है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईधन स्तोत्रों से 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक 2. 5 से 3 बिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाएं हमें राष्ट्रों में और राष्ट्र के भीतर समानता के लिए प्रयास करने की जरूरत है और पीढियों के भीतर समानता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड–19 महामारी और उसके परिणाम स्वरूप हुए लॉकडाउन के प्रभाव इस तथ्य पर फिर से जोर देता है कि सतत विकास ही आगे बढने का एक मात्र रास्ता है तथा पर्यावरण, सामाजिक शासन (Environmental, Society Governance) जोखिम समूह में पर्यावरणीय जोखिम एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसके भीतर, जलवायु परिवर्तन का

जोखिम पांच सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जोखिमों में से एक है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामों से प्रभावित न हो जलवायु परिवर्तन न केवल व्यवसाय चलाने की बढती लागत को निर्धारित करता है, बल्कि इन परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने वाले सार्वजनिक कार्यो की लागत को भी निर्धारित करता है।

मानव जनित जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना सर्वोच्च वैश्विक प्राथमिकता के रूप में उभरा है बहुपक्षीय निकायों विशेषताओं और मीडिया ने दुनिया भर के देशों में बहुत देर होने से पहले जलवायु आपदा को कम करने में अपना योगदान देने का अनुरोध किया है। भारत ने सामूहिक प्रयास में भाग लेते हुए पिछले दशक में बडी प्रगति भी की है फिर भी इसे विश्व के सबसे अधिक प्रदूषकों के रूप में चिन्हित किया गया है और अक्सर पर्याप्त कार्य न करने के लिए दंडित किया जाता है हालांकि भारतीय दृष्टिकोण की आलोचनाऐं दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पहचानने में विफल रहती है एक भारत को अपने विकासशील साथियों के समान सार्थक जलवायु कार्यवाही के साथ–साथ आर्थिक विकास को सन्तुलित करने का सामना करना पड रहा है और दूसरा जलवायु परिवर्तन के प्रस्तावित समाधान जो भारत की आलोचना के आधार के रूप में काम करते है इस बात को नजर अंदाज करते है कि टिकाऊ जीवन कैसा है जो भारतीय जीवन शैली में समाहित है तथा आजीविका के सिद्धान्तों में समाहित है भारत का लोकाचार प्रकृति के साथ सामजस्यपूर्ण संबंध पर जोर देता है जो विकसित दुनियां के अन्य हिस्सों में प्रचलित अत्याधिक खपत के बिल्कुल विपरीत है जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के समाधान बाजार समाज के सिद्धान्तों पर आधारित है जो अत्यधिक खपत को संबोधित करने के बजाय अधिक खपत को प्राप्त करने के साधनों को प्रतिस्थापित करना चाहता है इस तरह का दृष्टिकोण उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने के बजाय उस स्तर को महत्व देना है जिसके तहत उनकी जीवन शैली जारी रह सकती है वर्षो से कई नीतियों का निर्माण किया है परन्तु उन नीतियों से पृथ्वी के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं आये है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में बहुत कम या कोई कमी नहीं आई है।

यदि भारत अपनी बडी आबादी के साथ इस रास्ते पर चलना चुनता है तो देश और दुनियां के लिए जलवायु परिवर्तन के परिणाम बेहद नकारात्मक होगें। यदि भारत को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने के साथ–साथ आर्थिक विकास के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाना है तो भारत को अपने रास्ते पर चलने और अपने नजरिए से देखने की जरूरत है।

इन विचारों ने नींव के रूप में कार्य किया मिशन लाइफ के लिए 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मलेन में देश के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक अनूठी पहल है। मिशन लाइफ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लडाई में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सबसे आगे लाना है। प्राचीन भारतीय दर्शन से अपने सिद्धान्तों को प्राप्त करते हुए इस दृष्टिकोण के सिद्धान्त जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ग्रह अनुकूल विकल्प बनाने पर आधारित है। यह आने वाली पीढियों के प्रति सचेत रहते हुए वर्तमान में सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। मिशन लाइफ का उद्देश्य प्रकृति को नुकसान पहुचाए बिना लोगों की जरूरतों को पूरा करना है जो जलवायु परिवर्तन व सतत विकास का भी मूल आधार है।

भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नीतियां:– जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। 1992 में 'रियो पृथ्वी शिखर सम्मलेन' में पहचाने

गए तीन सम्मेलनों में से 'रियो कन्वेशन' को अपनाया गया था। यह सम्मलेन 'कन्वेशन ऑफ पार्टीज' के नाम से जाना जाता है जिसमें 197 देश सदस्य है। जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औद्योगिक राष्ट्र विकासशील देशों में जलवायु परिर्वतन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कन्वेशन के तहत सहमत है। इसके बाद 1995 में बर्लिन में 1995 में पहला सम्मेलन (COP 1) हुआ। एक और मील का पत्थर कायोटो प्रोटोकॉल था जिसे 11 दिसम्बर 1997 को क्योरो जापान में अपनाया गया था। सहमत पारियों को उत्सर्जन कम करने के लिए ''लक्ष्य'' के लिए बाधा किया गया था। विकसित देशों द्वारा लगभग 150 वर्षो तक अपनी औद्योगिक गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उच्च स्तर के कारण क्योटो प्रोटोकॉल सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धान्त के तहत विकसित देशों पर भारी बोझ डालता है। प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम 2001 में मराकेष (मोरक्को) में COP-7 में अपना गए थे, और इन्हें मैराकेष समझौते के रूप में जाना जाता है। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई और 2012 में समाप्त हुई। कैनकन समझौता 2010 में कैनकन में COP-16 में सामने आया जहां सरकारों ने ''हरित जलवायु कोश'' स्थापित करने का निर्णय किलया। यह फंड विषयगत फंडिग विंडों का उपयोग करके विकासशील देश में परियोजनाओं कार्यक्रमों नीतियों और उच्च गतिविधियों का समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य कन्वेशन के तहत अनुकूलन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुकूलन से संबंधित मामलों पर सुसंगत विचार पर कार्यवाही को बढाना था। COP-17 में डरबन प्लेटफार्म पर उन्नत कार्यवाही का मसौदा तैयार किया गया जहां सरकारों ने स्पष्ट रूप से पहचाना 2020 से पूरे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नए सार्वभौमिक, कानूनी समझौते का खाका तैयार करने की आवश्यकता है जहां सभी अपनी भूमिका निभाएंगे अपनी पूरी क्षमता से और सभी एक साथ सफलता का लाभ उठाने में सक्षम होगें।

डरबन परिणाम ने अपनी भावना व इरादे में यह स्वीकार किया कि स्मार्ट सरकारी नीति स्मार्ट व्यवसाय निवेष और एक जागरूक नागरिक की मांगे, जो आपसी स्वार्थ की समझ से प्रेरित है साथ–साथ चलनी चाहिए। सामान्य लक्ष्य का अनुसरण पेरिस में COP-21 में UNFCCC के पक्ष में जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ कम कार्बन तथा भविष्य के लिए आवश्यक कार्यो और निवेशों में तेजी लाने और तेज करने के लिए एक एतिहासिक समझौते पर पहुंचे। पेरिस समझौते के लिए सभी पक्षों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के माध्यम से और आने वाले वर्षो में इन प्रयासों को और मजबूत करना। भारत ने UNFCCC द्वारा निहित दायित्यों के अनुसरण में कई पहल की है जैसे (अ) पर्यावरण व वन मंत्रालय की पहचान, जलवायु परिवर्तन को जलवायु से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में परिवर्तन (ब) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का निर्माण, (स) सक्रिय उपायों की सलाह देने अन्तर मंत्रालय समन्वय की सुविधा प्रदान करने और प्रासंगिक क्षेत्रों में नीति का मार्गदर्शन करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद का गठन भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी NAPCC प्रौधोगिकी में प्रस्तुत वर्तमान और नियोजित कार्यक्रमों की वृद्धि के माध्यम से देश की तत्काल और महत्वपूर्ण चिन्ताओं को संबोधित करता है। यह दस्तावेज उन उपायों की पहचान करता है जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह लाभ देने के साथ–साथ हमारे विकास उद्देश्यों को बढावा देते है। यह भारत के विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन और शमन के उद्देश्यों को एक साथ आगे बढाने के लिए कई बदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। NAPCC ने शुरू में आठ राष्ट्रीय मिशनों की पहचान की थी।

1. सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन।
2. हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन।
3. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन।
4. राष्ट्रीय सौर मिशन।
5. उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन।
6. राष्ट्रीय जल मिशन।
7. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन।
8. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन।

जलवायु परिवर्तन पर पुर्नगणित प्रधानमंत्री की परिषद ने 19 जन0 2015 को आठ राष्ट्रीय मिषनों की समीक्षा की और जलवायु परिवर्तन पर चार नए मिशन बनाने का सुझाव दिया।

1. स्वास्थ्य मिशन
2. अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन पर राष्ट्रीय मिशन
3. भारत के तृतीय क्षेत्रों पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय पवन मिशन

उपरोक्त जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है तथा भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

भारत में कई राष्ट्रीय मिशन है जो सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते है सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करना और शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाना है।

इसके कुछ उद्देश्य निम्न है :–

- कम कार्बन वाले शहरी विकास को बढावा देना।
- इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।
- ओस व तरल अपषिष्ट का प्रबंधन करना।
- खराब मौसम के लिए प्रारम्भिक चेतावनी प्रणानी बनाना।
- टिकाऊ आवास का मानको का विकास करना।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशनः–

इसका उद्देश्य अनुकूलन उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से टिकाऊ कृषि को बढावा देना।

इसके प्रमुख उद्देश्यः–

फसल के बीच, पशुधन और मछली पालन में सुधार करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, कृषि पद्धतियों में सुधार करना, कृषि बीमा प्रदान करना, ऋण सहायता प्रदान करना इत्यादि।

भारत में नवम्बर 2021 में UNFCCC (COP-26) के 26 वें सत्र में 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की पेरिस जमझौते के अनुच्छेद 4 के पैरा 19 की मान्यता में भारत की लंबी अवधि निम्न कार्बन विकास रणनीति जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC में जलवायु परिवर्तन पर प्रस्तुत की गई है। भारत की दीर्घ कालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति समानता के सिद्धान्तों पर आधारित है और जलवायु न्याय और सामान्य लेकिन विभेजित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं का सिद्धान्त है।

निष्कर्षः– भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जहां ग्रीन हाउस गैसों अपने विकास और गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में वृद्धि होना तय है। परन्तु भारत में विष्व की 17% आबादी होने के बाबजूद 1850 से 2019 तक भारत का संचयी CO2 उत्सर्जन के 4% से भी कम है इसलिए वैश्विक तापन के लिए भारत की जिम्मेदारी कम रही है तथा भारत सरकार द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाये जा रहे है जिससे कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक लाया जा सके इसके लिए जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना भी प्रभावी रूप से लागू है जिसके अन्तर्गत कई मिशन चलाये जा रहें है। जो सतत विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में कारगर साबित हो रहे हैं।

सन्दर्भ सूचीः–

1. Down to Earth Magazine
2. pib.gov.in
3. MoEF and Climate Change
4. आर्थिक समीक्षा 2023-24, 2020-21
5. Dirshti IAS.COM
6. googlescholar.com
7. UNFCCC
8. World Bank